वॉल्यूम 32, सं. 4, अप्रैल, 2024

इंफोर्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

संपादकीय संयोजन : जी. वेंकू बाई

28 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में सर्वोच्च न्यायालय के डायमंड जुबली समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अनेक प्रौद्योगिकी पहलों - डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट, डिजिटल न्यायालय 2.0 तथा सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया गया

डिजिटलीकरण और सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के सभागार में हुआ, जो न्यायालय के 75वें वर्ष का प्रतीक है।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई नागरिक-केंद्रित तकनीकी पहलों का शुभारंभ किया। इनमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन और सुप्रीम कोर्ट की संशोधित वेबसाइट शामिल हैं।

डिजिटल एससीआर पहल न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो 1950 से लेकर अब तक के सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को डिजिटल, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इस संग्रह में 519 खंडों में 36,308 से अधिक मामले शामिल हैं।

न्यायिक दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 एप्लीकेशन, जो ई-कोर्ट्स परियोजना का विस्तार है, का उद्देश्य जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इसमें वास्तविक समय में भाषण से पाठ में प्रतिलेखन के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है।

अंत में, प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की नई द्विभाषी वेबसाइट का अनावरण किया, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक इंटरफ़ेस है, जिसे बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पहल भारत में अधिक पारदर्शी और सुलभ न्यायपालिका प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

मणिपुर ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के शुभारंभ के साथ डिजिटल शासन को अपनाया

मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर विधानसभा में 27 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन करते हुये।

डिजिटल शासन को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री ने मणिपुर विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन किया। एनआईसी द्वारा विकसित यह पहल राज्य में विधायी कार्य संचालन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।

नेवा एक परिष्कृत वर्कफ़्लो-आधारित एप्लिकेशन है जिसे सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेपरलेस असेंबली की अनुमति देता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा मिलता है। इस एप्लिकेशन से पारंपरिक कागज-निर्भर विधायी प्रक्रिया को बदलने की उम्मीद है, जिसमें प्रश्न, उत्तर, बहस और रिपोर्ट सहित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल करके वास्तविक समय की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च के दौरान अपने संबोधन में मौजूदा डिजिटल युग में नेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रणाली केवल कागज रहित होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी विधायी प्रक्रिया की ओर एक कदम है। नेवा का कार्यान्वयन बेहतर शासन के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए मणिपुर की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

लॉन्च कार्यक्रम में नेवा की विभिन्न विशेषताओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि यह किस तरह से सदन के अध्यक्ष को विधान सभा की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है। यह प्रणाली विभिन्न विभागों, विधान सभा के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करती है, जिससे विधायी प्रक्रिया की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है।

मणिपुर में नेवा को अपनाना ई-विधान परियोजना के तहत एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जो भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों में विधायी निकायों को डिजिटल बनाना है। मणिपुर के इस कदम से अन्य राज्यों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं के लिए इसी तरह के डिजिटल समाधान अपनाने की प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।

- एम. बुद्धिमाला देवी, मणिपुर

पंजाब राज्य को एनआरआई मामलों के लिए व्यापक वेब पोर्टल मिला

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने एनआरआई मामलों के विभाग के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) पंजाब द्वारा विकसित एक पहल है। 29 दिसंबर, 2023 को आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री को पोर्टल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफल बनाने में एनआईसी टीम, पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और एनआरआई विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस पोर्टल को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) समुदाय की सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो उन्हें अपनी मातृभूमि से जुड़ने में मदद करता है।

(https://nri.punjab.gov.in](https://nri.punjab.gov.in) पर उपलब्ध यह पोर्टल एनआरआई के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो एनआरआई पुलिस विंग, एनआरआई के लिए पंजाब राज्य आयोग और एनआरआई सभा जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह एक क्लिक इंटरफ़ेस के माध्यम से एनआरआई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं तक पहुँच को सरल बनाता है।

इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पंजाब सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत यात्रा और अप्रवासन एजेंटों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इसमें पंजाब के केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल का लिंक भी शामिल है, जिससे एनआरआई आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, एनआरआई मामलों के विभाग के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुये।

शुभारंभ समारोह में विधायक, श्री दिलीप कुमार, आईएएस, एनआरआई मामले विभाग के प्रधान सचिव, श्रीमती कंवल प्रीत बराड़, आईएएस, सचिव, श्री परमजीत सिंह, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, और एनआरआई पुलिस विंग के अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

- परमिंदर कौर, पंजाब

पटना उच्च न्यायालय ने पूर्णिया जिला न्यायालय में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की

न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री के. विनोद चंद्रन ने एनआईसी बिहार के अधिकारियों के सहयोग से पूर्णिया जिला न्यायालय में एक पायलट स्कैनिंग और डिजिटलीकरण केंद्र का उद्घाटन किया।

यह नई सुविधा महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है, यह कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (निकसी) को सौंपा गया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संरक्षित करना है, ताकि उनका लंबे समय तक और आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

उद्घाटन समारोह में विधिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया और न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश श्री के विनोद चंद्रन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कानूनी दस्तावेजों को समय के साथ कटने-फटने से बचाने और कानूनी प्रणाली की दक्षता में सुधार करने में इस परियोजना के महत्व पर जोर दिया।

डिजिटलीकरण प्रक्रिया न केवल दस्तावेजों को भौतिक रूप से खराब होने से बचाएगी, बल्कि सूचना की त्वरित और अधिक कुशल पुनर्प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगी, जो न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली की ओर एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री के. विनोद चंद्रन ने एनआईसी अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्णिया जिला न्यायालय में स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन केंद्र (पायलट) का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य निकसी को सौंपा गया है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके।

- सैयद मुमताज हुसैन, बिहार

डॉ. विजय नामदेवराव जादे, वित्त सचिव यूटी चंडीगढ़, श्री अजय चगती, सचिव कार्मिक एवं स्थापना, श्रीमती हरगुनजीत कौर, विशेष सचिव वित्त, श्री रमेश कुमार गुप्ता, डीडीजी एवं एसआईओ एनआईसी यूटी चंडीगढ़, श्री कपिल सेतिया, मुख्य वास्तुकार और श्री राजीव तिवारी, एसी (एफ एंड ए) राज्य कार्यालय के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल के शुभारंभ के दौरान।

एनआईसी चंडीगढ़ ने सुव्यवस्थित एस्टेट ऑफिस सेवाओं के लिए संपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की

एक प्रमुख तकनीकी उन्नति में, एनआईसी चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ यूटी में एस्टेट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली संपत्ति से संबंधित सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक व्यापक संपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। इस पहल से कागजी कार्रवाई में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों के लिए कुशल सेवा वितरण में वृद्धि होगी।

चंडीगढ़ के निवासी यूटी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए नए ऑनलाइन पोर्टल की बदौलत संपत्ति से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए अधिक कुशल तरीके की उम्मीद कर सकते हैं। एनआईसी चंडीगढ़ द्वारा विकसित, यह समर्पित पोर्टल समयबद्ध तरीके से सभी संपत्ति-संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कम प्रभावी भौतिक निवारण प्रणाली से अलग है।

इस प्रणाली का उद्देश्य एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करना है, जिसमें एस्टेट ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी संपत्ति के मामलों में बार-बार आपत्तियां उठाते हैं, जिससे आवेदक को परेशान होना पड़ता है। जल्द ही लागू होने वाली नई ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रणाली से ऐसी अक्षमताओं को दूर करने की उम्मीद है।

यूटी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नई प्रणाली के लाभों पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि इससे वरिष्ठ संपदा कार्यालय अधिकारियों द्वारा शिकायतों की नियमित निगरानी की सुविधा मिलेगी।

इससे समस्याओं का शीघ्र और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होता है, खासकर बुजुर्ग आवेदकों को, जिन्हें ऑनलाइन प्रणाली अधिक सुलभ लगेगी।

चंडीगढ़ का यूटी एस्टेट कार्यालय लगभग 60,000 प्रमुख संपत्तियों की देखरेख करता है, जिनमें मुख्य रूप से आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड दोनों हैं। एनआईसी चंडीगढ़ द्वारा संपत्ति प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत इन संपत्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- विवेक वर्मा, चंडीगढ़

एनआईसी सिक्किम ने सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक ज्ञान-साझाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

एनआईसी सिक्किम ने ज्ञान-साझाकरण सह व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से एनआईसी अधिकारियों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए बनाया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकी विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियों और संवादात्मक सत्रों की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें नेटवर्किंग तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सेवाएँ आदि शामिल हैं। प्रत्येक सत्र को इन तेज़ी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्रों में गहन ज्ञान और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

एनआईसी सिक्किम की इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति और कौशल से लैस करना है, जिससे उनके संबंधित विभागों की डिजिटल जरूरतों को कुशलतापूर्वक संभालने की उनकी क्षमता बढ़े। इस कार्यक्रम को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी देखा जाता है।

एनआईसी सिक्किम के प्रवक्ता ने इस प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "आज के डिजिटल युग में, सरकारी अधिकारियों के लिए नवीनतम तकनीकों में निपुण होना अनिवार्य है। यह कार्यक्रम केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल परिदृश्य में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए हमारे कार्यबल को तैयार करने के बारे में भी है।"

प्रशिक्षण सत्र अनुभवी पेशेवरों और क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ताकि प्रतिभागियों को व्यापक और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को उनके कार्य वातावरण में इन तकनीकों के अनुप्रयोग को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है।

एनआईसी सिक्किम ने सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक ज्ञान-साझाकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

यह ज्ञान-साझाकरण पहल सरकारी विभागों के भीतर डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एनआईसी की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिससे नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार होगा। सिक्किम में इस कार्यक्रम की सफलता से अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रशिक्षण पहलों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जो डिजिटल रूप से सशक्त सरकारी कार्यबल के निर्माण के राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ संरेखित होगी।

- डॉ. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा, सिक्किम

उत्तराखंड में आरटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली

डिजिटल शासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर राज्य के लिए 'ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल' और 'ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली' का शुभारंभ किया है। एनआईसी द्वारा विकसित ये अग्रणी पहल राज्य में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोधों और अपीलों को संभालने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

नया शुरू किया गया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है, साथ ही अपेक्षित शुल्क और किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है। यह प्रणाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, जिससे यह आम जनता के लिए अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। इसके अलावा, ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली एक अभिनव अतिरिक्त है जो आरटीआई अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की डिजिटल फाइलिंग की अनुमति देती है। यह एक हाइब्रिड सुनवाई तंत्र भी पेश करता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य अपील और शिकायतों के समाधान में तेजी लाना है।

लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "ये प्लेटफॉर्म प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सूचना का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए आसानी से सुलभ भी है।"

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, राज्य में 'ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल' और 'ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत और हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली' का शुभारंभ करते हुये।

इन प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आरटीआई अनुरोध और अपील दायर करने में लगने वाले समय और प्रयास में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह शासन संबंधी चुनौतियों के लिए डिजिटल समाधान अपनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

- अरविंद दथीचि, उत्तराखंड

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news